न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : अशोक शिवहरे

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 887/III/2011 विरूद्व आदेश दिनांक 28.05.2011 पारित – व्दारा अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा – प्रकरण कमांक 924/2010–11 अपील

1– महेश प्रसाद यादव पुत्र भगवतदीन यादव
2– गयाप्रसाद यादव पुत्र भगवतदीन यादव
दोंनो ग्राम अजगरहा तहसील हुजूर,
जिला रीवा मध्य प्रदेश ––आवेदकगण

विरूध्द

रामबहादुर यादव पुत्र रामसजीवन यादव
निवासी ग्राम अहगरहा तहसील हुजूर जिला रीवा ––अनावेदक

आवेदकगण के अभिभाषक श्री एस.के.अवस्थी
अनावेदक के अभिभाषक श्री मुकेश भार्गव

आदेश

(आज दिनांक 26 5– 2014 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा द्वारा प्रकरण कमांक 924/2010–11 अपील में पारित आदेश दिनांक 28.05.2011 के विरूद्व म0प्र0भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि अनावेदक ने आवेदकगण के विरूद्व तहसीलदार हुजूर जिला रीवा के समक्ष म0प्र0भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 109 सहपठित 110 के अंतर्गत आवेदन देकर बताया कि ग्राम अनन्तपुर स्थित भूमि सर्वे कमांक 10,15,16,17,26,28,29,31,35,37,38,54,110 जिनके नये नंबर 11,15,16,17,18,19,28,29,33,35,36,51,124 हैं, इनमें उसका 1/2 हिस्सा है, किन्तु अनावेदकगण व्दारा हिस्सा नहीं दिया जा रहा है। अनावेदकगण व्दारा विकय की गई भूमि के लिये आवेदक उत्तरदाई नहीं है विकीत रकबे के बाद जो भी शेष रकबा है उसे आवेदक के नाम किये जाने में बाधा नहीं है इसलिये सर्वे कमांक 35,36,51 के रकबा 0.17, 3.80, 1.67 एकड पर उसका नामान्तरण

किया जावे। तहसीलदार हुजूर ने प्र.क. 71/अ-6/09-10 पंजीबद्व किया तथा सुनवाई उपरांत आदेश दि. 9.12.2010 पारित किया तथा खाता कमांक 175 के खाना नंबर 6 से अनावेदकगण का नाम निरस्त करते हुये भूमि सर्वे कमांक 35 रकबा 0.17, 36 रकबा 3.80 तथा 51 रकबा 1.67 कुल रकबा 5.64 एकड पर रामबहादुर यादव पुत्र रामसजीवन यादव का नाम दर्ज किये जाने का आदेश दिया। इस आदेश के विरूद्व प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी, हुजूर के समक्ष होने पर प्र.क. 56/10-11 अ-6 अपील में पारित आदेश दि. 7-4-11 से अपील अमान्य हुई एंव तहसीलदार हुजूर का आदेश दि. 9-12-10 स्थिर रखा गया। अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 7-4-11 से व्यथित होकर द्वित्तीय अपील अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के समक्ष होने पर प्रकरण कमांक 924/10-11/अपील में पारित आदेश दिनांक 28-5-2011 से अपील निरस्त की गई । इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी है।

3/ निगरानी मेमो में उठाये गये बिन्दुओं पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेखों का अवलोकन किया गया।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्कों पर विचार करने एंव अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से यह तथ्य निर्विवाद है कि वादग्रस्त भूमियॉ उभय पक्ष की पैत्रिक भूमियां हैं जिनके उभय पक्ष भागीदार हैं। तहसील न्यायालय व्दारा आदेश दिनांक 9-12-2010 से उभय पक्ष की सुनवाई उपरांत खाता कमांक 175 के खाना नंबर 6 से अनावेदकगण का नाम निरस्त करते हुये भूमि सर्वे कमांक 35 रकबा 0.17, 36 रकबा 3.80 तथा 51 रकबा 1.67 कुल रकबा 5.64 एकड पर रामबहादुर यादव पुत्र रामसजीवन यादव का नाम दर्ज किये जाने का आदेश दिया और जिस समय यह आदेश हुआ है, किसी भी न्यायालय में वादग्रस्त भूमियों के संबंध में प्रकरण लम्बित नहीं रहा है । वादग्रस्त भूमियों के संबंध में उभय पक्ष के बीच माननीय द्वित्तीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 रीवा के न्यायालय में व्यवहार वाद कमांक 11 ए/90 चला है जो आदेश दिनांक 12 मार्च 1998 को निर्णीत हुआ है तथा वादग्रस्त भूमियों में

अनावेदक का हिस्सा 1/2 घोषित किया गया है तथा जो भूमियॉ कच्ची टीप के आधार पर विकीत होना बताई गई, उन्हें शून्य घोषित किया गया है। माननीय द्वित्तीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–1 रीवा के न्यायालय में व्यवहार वाद कमांक 11 ए/90 आदेश दिनांक 12 मार्च 1998 से अनावेदक के पक्ष में निर्णीत हुआ। आवेदकगण ने प्रथम अपील कमांक 38 ए/02 विशेष न्यायाधीश एंव प्रथम अतिरिक्त जिला एंव सत्र न्यायाधीश रीवा के न्यायालय में प्रस्तुत की, जो आदेश दिनांक 23–7–2003 से निरस्त हुई, इसके उपरांत माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में द्वित्तीय अपील कमांक 785/2003 प्रस्तुत हुई, जो आदेश दिनांक 9.11.2010 से निरस्त हुई है, इसके वाद तहसीलदार ने आदेश दिनांक 9.12.2010 से नामान्तरण आदेश पारित किया है। जहॉ तक माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में द्वित्तीय अपील कमांक 785/2003 के पुर्नस्थापित होने का प्रश्न है, माननीय उच्च न्यायालय से पुर्नस्थापित अपील में जो भी अंतिम आदेश होंगे, राजस्व न्यायालयों पर बन्धनकारी हैं, जिसके कारण विचाराधीन निगरानी में अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों में हस्तक्षेप की गुॅजाशय नजर नहीं आती है क्योंकि तीनों अधीनस्थ न्यायालयों व्दारा निकाले गये निष्कर्ष समरूप हैं।

5/ उपरोक्त विचना के आधार पर निगरानी सारहीन पाये जाने से निरस्त की जाती है। फलतः अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा द्वारा प्रकरण कमांक 924/2010–11/अपील में पारित आदेश दिनांक 28.05.2011 स्थिर रहता है।

(अशोक शिवहरे)
सदस्य
राजस्व मंडल
मध्य प्रदेश ग्वालियर